(155)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1066-पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-12-2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण क्रमांक 169/अपील/15-16

1-श्रीमती भंवरीबाई बेवा छगनलाल
2-कमलकुमार पिता छगनलाल
3-अशोककुमार पिता छगनलाल
निवासीगण खात्याखेडी तहसील मल्हारगढ
जिला मंदसौर
4-सीताबाई पिता छगनलाल पति पुष्पालाल
5-मनोहरबाई पिता छगनलाल पति राधेश्याम
6-लीलाबाई पिता छगनलाल पति प्रहलाद
7-धापुबाई पिता छगनलाल पति जगदीश
निवासी गंगापुर पोस्ट गंगापुरा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) .....आवेदकगण

विरूद्ध

तुलसीराम पिता आशाराम (मृतक)
निवासी खात्याखेड़ी तहसील मल्हारगढ
जिला मंदसौर
1-बसंतीबाई बेवा तुलसीराम माली
निवासी खात्याखेडी तहसील मल्हारगढ
जिला मंदसौर
2-सोनीबाई पिता तुलसीराम माली
निवासी रेल्वे कालोनी शामगढ़ जिला मंदसौर

.....अनावेदकगण

श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मनोज बामरे, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 22/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-12-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक तुलसीराम द्वारा तहसीलदार मल्हारगढ के समक्ष संहिता की धारा 178 के तहत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खात्याखेड़ी स्थित सर्वे नम्बर 77, 81, 101, 104, 298, 354, 373 कुल रकबा 5.73 हेक्टेयर भूमि उभयपक्ष के नाम शामिल कृषि खाता राजस्व अभिलेख में दर्ज है, जिसमें अनावेदक का 1/2 हिस्सा के स्वत्व होने से बटवारा किया जावे । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 17-1-2012 से बटवारा स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अवधि बाह्य अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10-12-2015 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त की गई । अनुविभागीयअधिकारी के आदेश विरूद्ध द्वितीय अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुतकिये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30-12-2016 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये पूर्व की स्थिति कायम किये जाने के आदेश दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अपर आयुक्त द्वारा अपने आलोच्य आदेश में विचाराधीन आदेश में प्रथम अपील अवधि बाधित होने के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया है जिससे प्रथम अपीलीय न्यायालय का अवधि बाधित होने संबंधी आदेश अक्षुण्य रहता है ऐसी दशा में द्वितीय अपीलीय न्यायालय का आदेश न्यायिक आदेश नहीं माना जा सकता है ।

(2) अनावेदक को बटवारा आदेश की जानकारी थी और उसका लाभ लेकर अनावेदक ने उसके हिस्से में बटवारे के अनुसार प्राप्त कृषि भूमि विक्रय की थी । ऐसी दशा में स्पष्ट है कि तुलसीराम ने दुर्भावनापूर्वक अपील प्रस्तुत करने से हुआ । विलम्ब क्षमा करने का आवेदन

असत्य तथ्यों पर प्रस्तुत किया था जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधि अनुसार अपना निर्णय पारित किया है ।

(3) उक्त परिस्थितियों एवं वैधानिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अनावेदक मृत तुलसीराम द्वारा प्रस्तुत अपील अवधि बाधित थी और इस संबंध में अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अवधि बाधित घोषित करते हुये प्रदत्त आदेश विधि संगत है। अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील अवधि बाधित होने के संबंध में विचार न करत हुये किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नही की है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

(4) अनावेदक ने स्वयं समझौता आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदकगण की सहमति प्राप्त करने के पश्चात तहसीलदार से निवेदन किया था कि समझौता आवेदन के अनुसार बटवारा किया जावे। तदनुसार तहसीलदार ने बटवारा आदेश पारित किया जो समझौता आवेदन के अनुसार होने से संहिता की धारा 96(3) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार तुलसीराम द्वारा प्रस्तुत अपील को विबंधन की बाधा आती है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कियाजाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

तर्क के समर्थन में 1978 आरएन 222 एवं 1957 आरएन 329 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क में यही कहा गया अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि बंटवारे में अनावेदक को अभिलिखित हिस्से से कम दी जाना प्रमाणित है । समझौतेनामें में ओव्हरराईटिंग होने से वह वैसे भी संदिग्ध हो जाता है । समझौतेनामें की गवाहों से पुष्टि भी नहीं कराई गई है । उक्त सबके प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी को अपील समयसीमा में मानकर गुणदोष पर सुनना था। विचारण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण बंटवारा आदेश में अनावेदक को साढ़े ग्यारह बीघा की जगह मात्रपौनेपॉच बीघा भूमि बीड़ व कम उपजाऊ प्रकृति दी गई है । प्रकरण में उपरोक्त तथ्य निहित होने के बावजूद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उन पर विचार नहीं कर अपील तकनीकी आधार पर अवधि बाह्य मानने में वैधानिक त्रुटि की है क्योंकि वादग्रस्त भूमियों में अनावेदक

का ½ हिस्सा व हक है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा विचारण न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित वादग्रस्त आदेश निरस्त करने में न्यायोचित कार्यवाही की गई है तथा अपर आयुक्त ने अपने आदेश में विस्तार से विवेचना कर सही निष्कर्ष निकाले हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-12-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर